न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 96/2017

प्रार्थीगण :–

1. मृतक गोविन्दराम के कायम मुकामात
   1/1. देवाराम पुत्र गोविन्दराम
   1/2. लालाराम पुत्र गोविन्दराम
   1/3. जगदीश पुत्र गोविन्दराम
   1/4. खेताराम पुत्र गोविन्दराम सभी जातियान माली निवसी जसोल तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नेमाराम पुत्र जवाराराम जाति माली
2. मृतक प्रकाशसिंह के कायम मुकाम
   2/1. प्रवीण सिंह पुत्र प्रकाशसिंह जाति राजपूत
   2/2. मरूधर कंवर बेवा प्रकाशसिंह जाति राजपूत
3. हरीसिंह पुत्र देवीसिंह
4. भगवतसिह पुत्र देवीसिंह सभी जातियान राजपूत निवासी जसोल, तह. पचपदरा, जिला बाडमेर ।
5. हस्तीमल पुत्र प्रताप
6. सांवलराम पुत्र प्रताप
7. जोगा पुत्र मिसरा जी
8. चुना पुत्र मिसरा जी
9. मोहन पुत्र मिसरा जी
10. रूपा पुत्र मिसरा जी सभी जातियान घांची, निवासी जसोल तह0 पचपदरा ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–
1. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थीगण
2. श्री सुरेश नारायण खार [illegible] र्थी सख्या – 01
3. श्री कौशल कुमार इन् [illegible] व्यास विप्रार्थी संख्या –5,6
4. श्री अम्बालाल विप्रार्थी संख्या [illegible]
5. विप्रार्थी संख्या – 7,8,10 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:12 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश दिनांक :— 05.06.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर पुराने खसरा संख्या 510/2 जिसके नये तरमीमी खसरा संख्या 1456/510 रकबा 24 बीघा 10 विस्वा सरहद मौजा जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि में आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु तक खसरा संख्या 500 व 502 भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये मार्क बरंग लाल से मार्क ए से बी अनुसार 13 फीट नया रास्ता के रूप मे उपयोग हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गयी। विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के उपस्थित। न्यायालय मे उक्त अनवान प्रकरण धारा 251 "ए जो निर्णय कर आदेश दिनांक 18.10.2017 पारित किया, जिसके विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के न्यायालय मे अपील पेश हुई, जिसमे श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर ने दोबारा मौका देखकर प्रकरण को निस्तारण करने का आदेश दिनांक 26.10.2018 को पारित करते हुए उक्त प्रकरण को न्यायालय मे रिमाण्ड किया गया । प्रार्थी के ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी हेतु बतौर पक्षकार जोडने विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का मौका रिपोर्ट अनुसार विप्रार्थी संख्या 5 ता 10 को पक्षकार बतौर विप्रार्थी जोडने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी हेतु बतौर पक्षकार जोडने विप्रार्थी का प्रार्थना की बहस को सुना गया व स्वीकार कर बतौर विप्रार्थी संख्या 5 ता 10 को रेकर्ड पर लिया गया । ताबाद विप्रार्थीगण संख्या 5, 6 व 9 के वकील उपस्थित जबाब हेतु पर्याप्त समय देने के बावजूद भी जबाब प्रस्तुत नही किये गये। विप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार से मौका रिपोर्ट दिनांक 13.1.2022 को [illegible] हुई जिसके अनुसार ग्राम जसोल के खसरा संख्या 1456/510 मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 500, 501, 502 मे रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित कि है जो उपयुक्त एव निकटतम है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नही है , जिसकी डी.एल.सी दर 23400 रूपये प्रति बीघा है ।

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:12 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा खेड की जमाबदी सवंत 2071–2074 तक का अवलोकन किया गया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थीगण ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या खसरा नम्बर 1456/510 रकबा 24.10 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी की उक्त भूमि अवस्थित है।

प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन का विकल्प है। जिसकी प्रार्थीगण को अत्यधिक आवश्यकता है

तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत मे आवागमन हेतु चाहे गये रास्ता सम्बन्धित खेत खसरा संख्या 1456/510 मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 500, 501, 502 प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम रास्ता प्रतीत होता है , अधिनियम की मंशानुसार निकटतम रास्ता ही उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' मे बरंग लाल से चिन्हित मार्क "ए" से "बी" व मौका फर्द के संलग्न नक्शा मे वर्णित बरंग लाल माफिक स्वीकार किया जा कर ग्राम जसोल तहसील पचपदरा के खसरा नम्बर 1456/510 से सडक तक आवागमन हेतु ग्राम जसोल के खसरा संख्या 500 के रकबा में से 00.03 बीघा भूमि खसरा संख्या 501 के रकबा में से 00.03 बीघा भूमि, खसरा संख्या 502 के रकबा में से 00.09 बीघा रास्ता घोषित करने का आदेश दिया जाता है । प्रार्थीगण रास्ते हेतु घोषित कुल 00.15 बीघा भूमि की क्षतिपूर्ति राशि माफिक डी.एल.सी रेट से दो गूना खसरा संख्या 500 के खातेदार को 78,000 /– रूपये, खसरा संख्या 501 के खातेदार को 78,000 /– रूपये, खसरा संख्या 502 के खातेदार को 234000 /– रूपये, को अदा करे ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:12 IST
Reason: SelfAttested

यदि उक्त विप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि प्राप्त नही कि जाती है तो भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा के पास जमा करावें। ताबाद तहसीलदार पचपदरा तदनुसार खसरा संख्या 500, 501, 502 मे से रास्ते हेतु घोषित तीनो खसरो के कुल 15 विस्वा भूमि सरकारी खाते में बतौर रास्ता अमल दरामद व जमाबंदी एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज कर दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 13.01.22 को न्यायालय मे प्राप्त हुई मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.062023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:12 IST
Reason: SelfAttested